।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत उमरैण

राजस्व वाद नं० 1/79 तारीख रज्जू 17.09.2020

01– महादेवा पुत्र श्री शंकरमल जाति सैनी उम्र करीब 66 साल निवासी ग्राम उमरैण तहसील व जिला अलवर (मृतक)

1/1– रामकुंवार पुत्र महादेवा जाति माली

1/2– रामनिवास पुत्र महादेवा जाति माली

1/3– मदन पुत्र महादेवा जाति माली
निवासीयान ग्राम उमरैण तहसील व जिला अलवर

1/4– रामवती उर्फ रामोती पुत्री महादेव पत्नी श्री कजोडराम निवासी ग्राम पो० उमरैण तहसील व जिला अलवर

बनाम

01– कजोड पुत्र महादेवा जाति माली निवासी ग्राम उमरैण तहसील व जिला अलवर –**असल प्रतिवादीगण**

02– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील अलवर –**फोरमल प्रतिवादी**

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 दावा बाबत इस्तकरारहक व हुकमइम्तनाई दवामी

–: निर्णय :– **दिनांकः 06.12.2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि असल प्रतिवादी संख्या 1 एवं तरतीवी प्रतिवादीगण (वादीगण) वादी के पुत्रान है। वादी ने प्रतिवादी संख्या–1 के नाम आराजी साबिक खसरा नम्बर 784 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा हाल आराजी खसरा नम्बर 1199 रकबा 33 ऐयर का 1/2 भाग वाके ग्राम उमरैण तहसील अलवर का बैयनामा दिनांक 04.06.1973 को आराजी खसरा 43 रकबा 0.02 बीघा के हाल खसरा नम्बर 283 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 51 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 252 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा जिसका वर्तमान में हाल आराजी खसरा नम्बर 961, 1015, 1016 रकबा 96 ऐयर के 1/2 भाग वाके ग्राम साहोडी तहसील व जिला अलवर का बैयनामा दिनांक 30.06.1973 को तथा आराजी खसरा नम्बर 768 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

जिसका हाल खसरा नम्बर 1171 रकबा 27 ऐयर, 1172 रकबा 37 ऐयर, 1173 रकबा 37 ऐयर, 1174 रकबा 37 ऐयर कुल किता 4 रकबा 1 है० 38 ऐयर का 1/3 भाग वाके ग्राम उमरैण तहसील व जिला अलवर का बैयनामा दिनांक 23.06.1977 को कराया था। उक्त आराजीयात वादपत्र में विवादित आराजी है। वक्त बैयनामा प्रतिवादी संख्या–1 नावालिग था तथा अंतिम बैयनामा में स्पष्ट रूप से प्रतिवादी संख्या–1 को नाबालिग दर्ज कर बैयनामा वादी की सरपरस्ती में किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि इससे पूर्व दोनों बैयमानो के वक्त भी प्रतिवादी संख्या–1 नाबालिग था। बैयनामों के आधार पर प्रतिवादी संख्या–1 का नाम राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज किया गया है। वक्त बैयनामा प्रतिवादी संख्या–1 नाबालिग था तथा वह कोई कार्य नही करता था ना ही उसके पास कोई आय का जरिया था। उक्त बैयनामें वादी ने प्रतिवादी संख्या–1 के नाम महज वात्सल्य के कारण कराये थे। वादी ने अपनी निजी आय से उपरोक्त आराजी खरीद की है जो वादी की सैल्फ एक्वायर्ड प्रोपर्टी की परिभाषा में आती है। विवादित आराजी मुतनाजा पर वादी बाद खरीद से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने प्रतिवादी संख्या–1 का विवाह भी कर दिया तथा वह बालिग हो चुका है, अब उसके मन में बदयान्ती आ गई है तथा राजस्व रिकार्ड में उसका नाम बहैसियत खातेदार दर्ज होने के कारण वह वादी के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत करता है चूँकि वह असामाजिक तत्वों के साथ उठता बैठता तथा बुरी संगतो में फंसा रहता है तथा उनके बहकावे में आकर वादी को जबरन आराजी मुतनाजा से बेदखल कर दीगर लोगों को रहन बैय हिबा करने की धमकी देता है तथा आये दिन झगडा फिसाद करता एवं मारने पीटने को आमादा रहता है। वादी विवादित आराजीयात के तीनों बैयनामें अपने अधिकारो के विरूद्व बालित बेअसर, नाकाबिल पावंदी एवं शून्य घोषित कराने का अधिकारी है साथ ही विवादित आराजी का अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि डिक्री इस्तकरारहक बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी संख्या–1 इस आश्य की पारित कि जावे कि विवादित आराजी का बैयनाम दिनांक 04.06.1973, 30.06.1973 एवं 23.06.1977 को मिन वादी ने प्रतिवादी संख्या–1 के नाम कराये है वह तीनों बैयनामें वादी के विरूद्व बालित बेअसर एवं नाकाबिल पावंदी तथा शून्य घोषित किये जावे साथ ही प्रतिवादी संख्या–1 का नाम जो उक्त बैयनामें के आधार पर राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज है उसे वादी के विरूद्व बातिल व बेअसर होने के कारण कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में वादी को बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने हेतु इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज वादी के पक्ष में डिक्री पारित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या-1 ने जर्ये अधिवक्ता जवाब पेश किया। जवाब में अंकित किया है कि वादी ने वाद विधि विरूद्ध तथा मनगढंत व मिथ्या को आधार बनाकर पेश किया है, जिसे पेश करने का अधिकार नही है। विवादित आराजी वादी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रोपर्टी की परिभाषा में आती हो गलत बताया है। वादी का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही चला आ रहा है अपितू बालिग होने के वक्त से असल प्रतिवादी निरंतर विवादित आराजी पर तन्हा काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा आज भी तन्हा कब्जा काश्त है। वादी का कोई कब्जा काश्त नही है। प्रतिवादी के मन में बदयान्ती आ गई हो तथा वादी के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत करता हो, गलत है। जब वादी वादी का मौके पर कोई कब्जे काश्त ही नही है तो वादी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत करने का सवाल ही पैदा नही होता है। प्रतिवादी असामाजिक तत्वों के साथ उठता बैठता हो तथा बुरी संगतों में फंसा रहता हो एवं किसी के बहकावे में आकर आराजी मुतनाजा से वादी को बेदखल कर दीगर लोगों को रहन बैय हिबा करने की धमकी देता हो तथा वादी से कोई झगडा फसाद करता हो या मारपीट करने पर आमादा हो, गलत है। जब वादी का आराजी मुतनाजा पर कोई कब्जा ही नही है तो उसे बेदखल करने या ना करने का सवाल ही पैदा नही होता। प्रतिवादी के मन में कोई बदयान्ती नही आयी है अपितू वादी तरतीबी प्रतिवादीगण (वादीगण) के अनुचित प्रभाव व दबाव में है जिन्होनें वादी को बहला फुसला रखा है। तरतीबी प्रतिवादीगण (वादीगण) को उनके हिस्से मुताबिक अन्य जमीन जायदाद देने के बावजूद विवादित आराजी में अनाधिकार हिस्सा प्राप्त करना चाहते है, इस कारण झूठा मुकदमा कराया है। चूँकि विवादित आराजी असल प्रतिवादी के नाम से रजिस्टर्ड बैयनामों के जर्ये खरीद की है जिसका बहैसियत खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज है तथा बालिग होने के वक्त से तन्हा कब्जा काश्त है। वादी के विवादित आराजी में कोई हित निहित नही है ना ही वादी बैयनामों को बातिल बेअसर नाकाबिल पाबन्दी व शून्य कराने का अधिकारी है। बैयनामों को बालित बेअसर नाकाबिल पाबन्दी व शून्य करार करने का अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को है, इस बाबत राजस्व न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार नही है। वाद वादी क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण कानूनन चलने योग्य नही है। प्रतिवादी के हक में हुए बैयनामों को 35 साल से अधिक समय हो गया है तथा वादी ने दावा 35 साल के लम्बे अर्से के बाद पेश किया है जो म्याद बाहर होने से कानूनन खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी ने वाद वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावे बाबत निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प उमरैण में पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में दिनांक 23.10.2019 को वकील वादी ने वादी महादेवा का स्वर्गवास दिनांक 11.09.2019 हो जाने पर प्रार्थना पत्र मरम्मत सवाल पेश किया हुआ है स्वीकार किया जाता है। वादी महादेवा के वारिस पुत्रान पत्रावली में तरतीबी प्रतिवादीगण के रूप शामिल है लेकिन वादी महादेवा की पुत्री रामवती को वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। पत्रावली में तरतीबी प्रतिवादीगण के रूप शामिल पक्षकार वादी महादेव के वारिसान को तथा पुत्री रामवती को वादपत्र में वादीगण के रूप में दर्ज किया जाता है।

पक्षकारान ने दिनांक 27.11.2021 को हस्ताक्षरयुक्त राजीनामा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प साहोडी में पेश किया। राजीनामा में अंकित किया है कि वाद पत्र वादी महादेवा द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसका स्वर्गवास हो चुका है तथा असल प्रतिवादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण खास भाई है और वादी स्वर्गीय महादेव के पुत्र है अब मौजिज लोगों की समझाईश से पक्षकारों के मध्य बाहमी तौर पर राजीनामा हो गया है, जो निम्न प्रकार तय पाया गया है:–

(क) वादी मृतक महादेवा ने अपने स्वयं अर्जित आय से विवादित आराजी को खरीदा था तथा बयनामा (1) दिनांक 06.04.1973 बयनामा (2) दिनांक 30.06.1973 बयनाम (3) 23.06.1977 को असल प्रतिवादी संख्या–1 की नाबालिगी में उसके नाम करवा दिया था जिस तथ्य को प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार करता है तथा वह अब विवादित आराजीयात में से अपने भाईयों तरतीबी प्रतिवादीगण रामकुवांर, रामनिवास व मदन तथा एक बहिन रामवती पुत्री महादेवा को बय हिस्से बराबर से उनका हिस्सा देने के लिए सहमत है इसलिए विवादित आराजीयात का असल प्रतिवादी संख्या–1, तरतीबी प्रतिवादी संख्या–3 लगायत 5 रामकुवांर, रामनिवास एवं मदन तथा बहिन रामवती पुत्री महादेवा को बहिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसमें किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति किसी तरह की नही है।

(ख) पक्षकारों के मध्य यह भी तय पाया गया है कि पिता स्व० श्री महादेवा पुत्र श्री शंकर लाल की स्वयं की अर्जित समस्त अचली सम्पत्ति में भी इस प्रकार से चारों भाई एवं बहिन रामवती उर्फ रामोती पुत्री महादेव पत्नी श्री कजोडराम निवासी ग्राम पो० उमरैण तहसील व जिला अलवर का बराबर का हक हिस्सा रहेगा।

(ग) बयनामा दिनांक 27.11.2021 को तरतीबी प्रतिवादीगण के हकूकों के विरूद्ध बातिल बेअसर घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

राजीनामा पर उभय पक्ष को सुना। वादीगण एवं प्रतिवादी ने मुताबिक दस्तावेज राजीनामा, सहमति पेश कर वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

मुताबिक दस्तावेजी राजीनामा बाबत सहमति के अनुसार वादीगण का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है:-

आराजी खसरा नम्बर 1199 रकबा 33 ऐयर का 1/2 भाग वाके ग्राम उमरैण तहसील अलवर में कजोडाराम पुत्र महादेव का नाम कलमजन कर, इसके स्थान पर कजोडमल, रामकंवार, रामनिवास, मदन पुत्रान महादेवा, रामवती पुत्री महादेवा का 1/5 – 1/5 हिस्सा, आराजी खसरा नम्बर 1171 रकबा 27 ऐयर, 1172 रकबा 37 ऐयर, 1173 रकबा 37 ऐयर, 1174 रकबा 37 ऐयर कुल किता 4 रकबा 1 है० 38 ऐयर का 1/3 भाग वाके ग्राम उमरैण में कजोडाराम पुत्र महादेवा का नाम कलमजन कर, इसके स्थान पर कजोडमल, रामकंवार, रामनिवास, मदन पुत्रान महादेवा, रामवती पुत्री महादेवा का 1/5 – 1/5 हिस्सा तथा आराजी खसरा नम्बर 961, 1015, 1016 रकबा 96 ऐयर के 1/2 भाग वाके ग्राम साहोडी तहसील अलवर में कजोडा पुत्र महादेव का नाम कलमजन कर, इसके स्थान पर कजोडमल, रामकंवार, रामनिवास, मदन पुत्रान महादेवा, रामवती पुत्री महादेवा का 1/5 – 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदानुसार हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर अमल दरामद किया जावे, तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प उमरैण में लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

कैम्प – ग्राम पंचायत उमरैण

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्यारे लाल सोंठवाल RAS

उनवान

महादेवा **बनाम** कजोड

दावा बाबत धारा 88, 89 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर :– 1/79/2020

निर्णय दिनांक :– 06.12.2019

वादीगण व प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.12.2021 को अन्तिम निपटारे के लिए कैम्प उमरैण में पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि मुताबिक दस्तावेजी राजीनामा बाबत सहमति के अनुसार वादीगण का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1199 रकबा 33 ऐयर का 1/2 भाग वाके ग्राम उमरैण तहसील अलवर में कजोडाराम पुत्र महादेव का नाम कलमजन कर, इसके स्थान पर कजोडमल, रामकंवार, रामनिवास, मदन पुत्रान महादेवा, रामवती पुत्री महादेवा का 1/5 – 1/5 हिस्सा, आराजी खसरा नम्बर 1171 रकबा 27 ऐयर, 1172 रकबा 37 ऐयर, 1173 रकबा 37 ऐयर, 1174 रकबा 37 ऐयर कुल किता 4 रकबा 1 है० 38 ऐयर का 1/3 भाग वाके ग्राम उमरैण में कजोडराम पुत्र महादेवा का नाम कलमजन कर, इसके स्थान पर कजोडमल, रामकंवार, रामनिवास, मदन पुत्रान महादेवा, रामवती पुत्री महादेवा का 1/5 – 1/5 हिस्सा तथा आराजी खसरा नम्बर 961, 1015, 1016 रकबा 96 ऐयर के 1/2 भाग वाके ग्राम साहोडी तहसील अलवर में कजोडा पुत्र महादेव का नाम कलमजन कर, इसके स्थान पर कजोडमल, रामकंवार, रामनिवास, मदन पुत्रान महादेवा, रामवती पुत्री महादेवा का 1/5 – 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदानुसार हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर अमल दरामद किया जावे, तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्यारे लाल सोंठवाल)
उप खण्ड अधिकारी
अलवर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4........ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशित की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया